संख्या– 37 /54–1–13/1(5)2010

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह
संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डब्ल्यूसीडीसी**
(जनपद गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, शामली व कासगंज को छोड़कर), उ0प्र0
2. **आयुक्त एवं प्रशासक,**
शारदा सहायक समादेश, लखनऊ।
3. **अध्यक्ष एवं प्रशासक,**
रामगंगा कमाण्ड परियोजना, कानपुर।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 18 जनवरी, 2013
(समादेश बन्धु)

विषय– **आईडब्ल्यूएमपी योजनान्तर्गत मजदूरों को बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी के भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, महोबा के पत्र संख्या 1052/एसटी/डब्ल्यूसीडीसी/2012–13 दिनांक 19.09.2012 द्वारा शासन से यह अनुरोध किया गया था कि आईडब्ल्यूएमपी योजनान्तर्गत कार्य करने वाले मजदूरों को पारदर्शिता के दृष्टिगत, मजदूरी का भुगतान बैंक खातों के माध्यम से किया जाय। प्रश्नगत प्रकरण को स्टेट लेवेल नोडल एजेन्सी (एसएलएनए) उ0प्र0 की दिनांक 27.12.2012 को आयोजित 14वीं बैंठक में एजेन्डा बिन्दु संख्या–14 पर एसएलएनए के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, जिस पर एसएलएनए द्वारा प्रस्ताव को सर्वथा उचित मानते हुए सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में आईडब्ल्यूएमपी योजनान्तर्गत मजदूरों को बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान किये जाने पर सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है।

2. उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आईडब्ल्यूएमपी योजनान्तर्गत मजदूरों को मजदूरी के भुगतान बैंक खातों के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाय। किसी भी दशा में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नगद के रूप में न किया जाय।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें एवं इनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

17.1.2013

(आनन्द कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पत्रांक– (1)/54–1–12/1(5)2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, कृषि, उ0प्र0, लखनऊ।

क्रमशः ......

4. समस्त सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0 (जनपद गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, कासगंज तथा शामली को छोड़कर)
5. समस्त उप निदेशक, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग।
6. समस्त पीआईए/भूमि संरक्षण अधिकारी, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग।
7. समस्त पीआईए/भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि विभाग।
8. प्रशासनिक अधिकारी, एसएलडीसी, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय **वेबसाइट** http://upldwr.up.nic.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें एवं समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारियों/अध्यक्ष, डब्ल्यूसीडीसी को **ई–मेल** भी प्रेषित करें।

आज्ञा से

(आनन्द कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी